न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 348 / 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024 / 440

प्रार्थीगण :–		अप्रार्थीगण :–
गोविंदसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति रावल, निवासी गुड़ा रावतान, तहसील देसूरी, जिला–पाली राज.	बनाम	1. अम्बेड़कर भवन,डायलाना कला, जरिये अध्यक्ष नारायणलाल पुत्र वालाराम, जाति सरगरा, निवासी डायलाना कला, तहसील देसूरी जिला–पाली राज. 2. ग्राम पंचायत डायलानाकला जरिये सरपंच महोदय 3. नारायणलाल पुत्र वालाराम जाति सरगरा, निवासी डायलाना कला, तहसील देसूरी, जिला पाली राज. (पूर्व सरपंच)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994 के तहत प्रस्तुत निगरानी ग्राम पंचायत डायलाना कला द्वारा प्रस्ताव संख्या 16 / 24.04.2016 की अनुपालना में दिनांक 15.06.2016 को अप्रार्थी संख्या 1 को जारी पट्टा संख्या 03 दिनांक 24.04.2016 को निरस्त कराने बाबत् प्रस्तुत की गई।

उपस्थिति :– अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित ।

–:निर्णय:–

दिनांक: 06.09.2024

प्रार्थी गोविंद सिंह पुत्र गुमानसिंह ने एक निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरुद्ध पट्टा संख्या 3 दिनांक 24 अप्रैल 2016 जिसे ग्राम सभा प्रस्ताव संख्या 16 दिनांक 24 अप्रैल 2016 की अनुपालना में दिनांक 15 जून 2016 को ग्राम पंचायत डायलाना कला द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा बहैसियत सरपंच जारी किया गया। निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का पट्टा शुदा भूखंड ग्राम डायलाना कला में स्थित है उपरोक्त भूखंड का पट्टा ग्राम पंचायत डायलाना कला द्वारा दिनांक 9 फ़रवरी 2013 को नियम 158 के तहत पट्टा संख्या 12 प्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया था जिस पर तत्कालीन सरपंच सुकली एवं समस्त वार्ड पंचान तथा सचिव ग्राम पंचायत डायलाना कला के हस्ताक्षर है। उपरोक्त भूखंड पर प्रार्थी पिछले कई वर्षों से क़ाबिज़ है। प्रार्थी ग़रीब पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति है इस कारण से उपरोक्त भूखंड का पट्टा प्रार्थी के पक्ष में पुराना क़ब्ज़ा होने के आधार पर जारी किया गया है। प्रार्थी का पट्टा संख्या 12 है तथा प्रार्थी से पूर्व पट्टा संख्या 11 इसी दिनांक को राजकीय प्राथमिक विद्यालय डायलाना कला के नाम से जारी हो रखा है। उपरोक्त पट्टे प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 में जारी किए गए है।

प्रार्थी के पट्टा शुदा भूखंड और आस पास के क्षेत्र को मिलाकर अप्रार्थी संख्या एक के नाम से तत्कालीन सरपंच अप्रार्थी संख्या 3 ने बिना किसी आधार बिना किसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाये जारी कर दिया जबकि अम्बेडकर भवन नाम की कोई संस्था अस्तित्व में नहीं है। अम्बेडकर भवन विधिक व्यक्ति नहीं है। क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 अम्बेडकर भवन नाम की कोई संस्था रजिस्टर्ड नहीं है ऐसी स्थिति में काल्पनिक संस्था के नाम जारी पट्टा अवैध व शून्यवृत होने से प्रथम द्रष्टया अपास्त योग्य है।

अति. जिला कलेक्टर
बाली (पाली)

जैर निगरानी पट्टे से प्रार्थी प्रथम द्रष्टया प्रभावित व्यथित पक्षकार है क्योंकि उपरोक्त भूमि के कुछ भाग का पट्टा प्रार्थी के नाम पूर्व में जारी हो रखा है जो आज दिन तक निरस्त नहीं किया गया है और प्रभाव में है फिर भी पश्चातवर्ती पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी कर दिया और उसके आधार पर अप्रार्थी संख्या एक मौक़े पर निर्माण कराने पर आमादा है ऐसी स्थिति में प्रार्थी व्यथित व प्रभावित पक्षकार होने से प्रार्थी को निगरानी प्रस्तुत करने की इजाज़त दिया जाना न्यायोचित है । प्रार्थी हितबद्ध

RTO

CamScanner

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994 उनवान गोविंदसिंह बनाम अम्बेडकर भवन, डायलाना कला जरिये अध्यक्ष नारायणलाल व अन्य पंचायत निगरानी संख्या : 348/2024

पक्षकार है। अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार फरमावे तथा जैर निगरानी पट्टा निरस्त फरमावे।

निगरानी के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जा कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपनी बहस प्रस्तुत की। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों का उल्लेख करते हुए निवेदन किया कि जिंस भूमि पर अंबेडकर भवन का पट्टा बनाया गया है उस भूमि पर प्रार्थी को पूर्व से ही पट्टा जारी कर रखा है अतः अंबेडकर भवन को जारी किया गया पट्टा गलत है एवं अंबेडकर भवन नाम की कोई संवैधानिक रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। पंचायत पट्टा जारी नहीं कर सकती जो पट्टा जारी किया गया है वह पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 156(2) के अधीन जारी किया गया है इस नियम में उन व्यक्तियों को पट्टा जारी किया जाता है जिनके पास कहीं भी कोई घर या निवास स्थल नहीं है और मकान अथवा कच्चे मकान के सन्निर्माण के रूप में आबादी भूमि पर कब्जा है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा गलत नियमों में पट्टा जारी किया गया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर अप्रार्थी संख्या एक को जारी किया गया पट्टा निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने दस्तावेज प्रस्तुत किए एवं निवेदन किया कि प्रार्थी को किसी भी प्रकार का पट्टा जारी नहीं किया गया है और इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी को जारी पट्टा फर्जी है। अंबेडकर भवन को जो पट्टा जारी किया गया है वह नियमों के अनुरूप जारी किया गया है तथा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जारी किया गया है। इस पर विधायक कोष से भवन निर्माण किया जाना है अतः निगरानी खारिज फरमाइ जावे।

हमने प्रस्तुत निगरानी उसके साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए दस्तावेज एवं विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर गहनता से विचार किया। प्रस्तुत निगरानी में अंबेडकर संस्था को जो पट्टा जारी किया गया है वह राजस्थान पंचायतराज नियम 1996 के नियम 157(2) के अधीन जारी किया गया है इस नियम में पूर्व में भूमि विहीन परिवारों को पुराने कब्जे के आधार पर पट्टा जारी किया जाता है अत: जारी किया गया पट्टा नियम विरुद्ध पाया जाता है। अप्रार्थीगण का यह कहना है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पट्टे का कोई रेकार्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है इससे यह फर्जी प्रतीत होता है,विश्वसनीय नहीं है क्योंकि इसी दिनांक को राजकीय प्राथमिक विद्यालय को भी पट्टा जारी किया गया है जिसपर तत्कालीन सरपंच वार्ड पंच एवं सचिव के हस्ताक्षर हैं और वैसे ही हस्ताक्षर प्रार्थी के पट्टे पर भी है। अतः प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत डायलाना कला द्वारा जारी पट्टा संख्या 3 दिनांक 24 अप्रैल 2016 को निरस्त किया जाता है। पालना हेतु संबंधित को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनाक 06 सितम्बर 2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

6/9/24

(नितेन्द्र कुमार पाण्डे)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली